# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 565/2017

| अपीलांट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट्स |
|---|---|---|
| गणपतलाल पुत्र धनराज जाति ओसवाल निवासी ढिमडी, गुडामालानी जिला बाडमेर | | 1– भेरूसिह पुत्र जगमाल सिह<br>2– सांवलसिह पुत्र जगमाल सिह<br>3– मैथी पत्नी जगमाल सिह<br>निवासीगण ढीमडी तहसील<br>गुडामालानी जिला बाडमेर<br>4– श्रवणसिह पुत्र बींजराजसिह<br>5– बाबूसिह पुत्र बींजराजसिह<br>6– कालूसिह पुत्र बींजराजसिह<br>7– गणपतसिह पुत्र बीजराजसिह<br>8– रामसिह पुत्र बींजराजसिह<br>9– सरियाकंवर पत्नी बींजराजसिह<br>जाति राजपूत निवासी चकगुडा<br>तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर<br>10–अमराराम पुत्र भारमराम जाति<br>विश्नोई निवासी चकगुडा तहसील<br>गुडामालानी जिला बाडमेर |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 6–6–2016 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडा मालानी (बाडमेर) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 182/2015 अनवान भेरू सिह बनाम गणपत लाल वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री यशवंत मेहता अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री लादूराम पूनिया, रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0गण बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

## निर्णय

दिनांक 31–1–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 भेरूसिह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अपने खातेदारी की भूमि मौजा बांटा के खेत खसरा नंबर 45/1 रकबा 34.05 बीघा की पक्की नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–6–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार गुडामालानी को दोनो पक्षकारो की उपस्थिति मे विवादित खसरा नंबर की भूमि के संबंध मे सीमाज्ञान करवाकर चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करने के आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । रेस्पो0 संख्या 1 से 9 बावजुद तामिल के अनुपस्थित । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की भूमि रेस्पो0 की भूमि के पास स्थित होने एवं एक ही माठ होने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे अपीलांट को पक्षकार मुकदमा बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित कर दिया, जबकि

अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से यह अपील अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी. के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है, इसलिए अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट को उक्त अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस तामिल करवाये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित कर दिया । अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांटगण ग्राम ढीमडी मे निवास ही नही करते है वे व्यापार के सिलसिले से मुम्बई मे निवासी करते है फिर भी अपीलांटगण को मुम्बई पते पर नोटिस भेजे बिना केवल ढीमडी के पते पर नोटिस जारी कर अपीलांट के निवास स्थान पर चस्पा करते हुए तामिल मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये तथा मौका देखे बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है। अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–6–2016 को अपास्त करने तथा उक्त निर्णय के आधार पर पारित फर्द मौका दिनांक 5–7–2016 एवं 14–7–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 10 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा प्रकरण संख्या 182/2015 मे पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–6–2016 के विरूद्ध उक्त खसरा के पडौसी खातेदार होने से रेस्पो0 संख्या 10 अमराराम ने न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर मे अपील दायर की थी जिसके द्वारा अपीलांटण की अपील को आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को संशोधित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी को निर्देशित किया कि वे ग्राम बांटा के खातेदारी खेत खसरा नंबर 54/4 रकबा 34.05 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी किये जाने से पूर्व उल्लेखित खसरा भूमि के सभी पडौसी खातेदारो व अपीलांट्स को उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करते हुए वादग्रस्त भूमि की राजस्व नक्शे के अनुसार पैमाईश अपीलांट्स, रेस्पो0 सहित सभी पडौसी खातेदारान को मौका स्थल पर उपस्थित रखते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी के खेत के बीच ग्राम चकगुडा तथा बांटा की सीमा पर सेटलमेट के समय से लगे पक्के मुटाम को प्रभावित किये बिना तहसीलदार गुडामालानी स्वयं की उपस्थिति मे करवाई जाये तत्पश्चात नियमानुसार नेखमबंदी की कार्यवाही सम्पादित करने का आदेश पारित किया जा चुका है ।

हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पो0 संख्या 10 के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–6–2016 के रेस्पो0 संख्या 10 अमराराम द्वारा प्रस्तुत अपील पर पारित निर्णय दिनांक 12–7–16 का भी अध्ययन किया । अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि उसे अधीनस्थ

न्यायालय की कार्यवाही मे पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट अपीलाधीन भूमि के पडौसी खातेदार होने से प्रभावित होने से अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

इसके अलावा रेस्पो0 संख्या 10 अमराराम की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–7–2016 के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा प्रकरण संख्या 182/2015 अनवान भेरूसिह वगैरा बनाम श्रवणसिह वगैरा मे पारित किये गये आदेश दिनांक 6–6–2016 को संशोधित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी को निर्देशित किया कि वे ग्राम बांटा के खातेदारी खेत खसरा नंबर 54/4 रकबा 34.05 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी किये जाने से पूर्व उल्लेखित खसरा भूमि के सभी पडौसी खातेदारो व अपीलांट्स को उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करते हुए वादग्रस्त भूमि की राजस्व नक्शे के अनुसार पैमाईश अपीलांट्स, रेस्पो0 सहित सभी पडौसी खातेदारान को मौका स्थल पर उपस्थित रखते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी के खेत के बीच ग्राम चकगुडा तथा बांटा की सीमा पर सेटलमेट के समय से लगे पक्के मुटाम को प्रभावित किये बिना तहसीलदार गुडामालानी स्वयं की उपस्थिति मे करवाई जाये तत्पश्चात नियमानुसार नेखमबंदी की कार्यवाही सम्पादित करने का आदेश पारित किया जा चुका है ।

ऐसे मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–6–2016 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–7–2016 के मध्यनजर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 31–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर